न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी–श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 61/2025
निर्णय दिनांक –18.05.2025
GCMS No.- 2025/121

सायर कंवर पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)
..................वादीनी

बनाम

1. गोविन्दसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. पूर्णसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. बलबीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
4. समन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

4(क) शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मलसीसर तहसील सुजानगढ़

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

.......प्रतिवादीगण

दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश घोटिया एडवोकेट वादी।
2. श्री सुभाष डुडी प्रतिवादी संख्या 01 ता 04।
3. श्री दिनेश कुमार दाधीच प्रतिवादी संख्या 4(क)।
4. प्रतिवादी संख्या 05 राज पैरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 04 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग का खेत खसरा संख्या 375 तादादी 0.6954 हैक्टेयर, खसरा संख्या 714 तादादी 9.6354 हैक्टेयर, खसरा संख्या 852/374 तादादी 0.5816 हैक्टेयर, खसरा संख्या 854/486 तादादी 3.3129 हैक्टेयर व खसरा संख्या 856/715 तादादी 2.9842 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल तादादी 17.2095 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त वादगत भूमि में वादीनी का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे हिस्सा नियत है व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 का 1/5 हिस्सा रकॉर्ड में नियत है।

उक्त वादगत भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ने आपस में मौखिक बंटवारा कर लिया था। मुताबिक मौखिक बंटवारा के वादगत खेत 854/486 तादादी 3.3129 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर में से वादीनी के हिस्से व पांति की वादगत खेत की 1/5 हिस्सा यानि 0.66258 हैक्टेयर भूमि बीच में वादीनी के हिस्से व पांति में आई हुई है व वादगत खेत के वादीनी हिस्से के उतरी तरफ व दक्षिणी तरफ प्रतिवादीगण के हिस्से–पांति में आई हुई है। वादीनी द्वारा अपने हिस्से व पांति की भूमि पर चारों ओर पुख्ता सीवें कायम की हुई है, जिसमें से वादीनी अपने हिस्से व पांति की भूमि पर काश्त चली आ रही है व शेष खेत ख.नं. 375 तादादी 0.6954 हैक्टेयर, ख.नं. 714 तादादी 9.6354 हैक्टेयर, ख.नं. 852/374 तादादी 0.5816 हैक्टेयर, ख.नं. 856/715 तादादी 2.9842 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग में है। खेत ख.नं. 854/486 की राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी अंकित रहने से वादीनी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानियां होती है व संयुक्त खातेदारी होने के कारण वादीनी व प्रतिवादीगण के मध्य सीमा विवाद रहने लग गया है व प्रतिवादीगण के मन में

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

कुलालच आ गया है व वादगत भूमि में से मिन्ट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर चले आ रहे कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की भूमि के बंटवारे का उल्लंघन कर गलत रूप से वादीनी के हिस्से व पांति की भूमि पर सीमा विवाद करने लग गये हैं व विक्रय करने पर आमदा है, इसलिये वादीनी के लिये आवश्यक हो गया है कि वोह वादगत खेत की संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवाकर वादीगण मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर चले आ रहे मौखिक विभाजन के अनुसार अपने हिस्से–पांति व वादगत भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक अंकित करवाकर अपने नाम अलग अलग खातेदारी करवायें व लगाान का विभाजन कराये, जिसके लिये वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

दावा प्रस्तुत होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया व राजीनामा पेश हुआ जिसे बाद तस्दीक शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4(क) की ओर से वकालतनामा पेश किया गया व फर्द अहकाम पर बैंक के हित को सुरक्षित रखते हुए न्यायालय दावा डिक्री करता है तो बैंक को कोई आपति नहीं है का अंकन किया गया। राज पैराकार तहसीलदार सुजानगढ़ की ओर से फर्द अहकाम पर राजहीत निहीत नहीं का अंकन किया गया। वादीनी की ओर से साक्ष्य के समर्थन मे शपथ–पत्र पेश किया गया। वाद के समर्थन में पेश दस्तावेज प्रदर्श–01 से प्रदर्श–07 है।

बहस बहुपक्षीय विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीनी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा राजीनामा का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 854/486 तादादी 3.3129 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक राजीनामा वादीनी उतने हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक राजीनामा वाद वादीनी विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादीनी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 05 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 854/486 तादादी 3.3129 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादीनी के हिस्से की 1/5 हिस्सा बीच में से राजीनामा में उल्लेखित स्थान की वादीनी अकेली के नाम अलग दर्ज कर लगान कायम करें। खेत खसरा संख्या 854/486 तादादी 3.3129 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ब.हि.ब. संयुक्त रूप से दर्ज करें व अन्य खसरान वादीनी व प्रतिवादीगण 01 ता 04 के नाम से संयुक्त हिस्सा अनुसार रखी जावे। मुताबिक निर्णय खेत खसरा संख्या 854/486 तादादी 3.3129 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ के एक्स में तरमीम करें। राजीनामा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला चूरू

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूंरू)

डिकरी ब मुकदमेंइस्तादाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ

बइजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

सायर कंवर बनाम गोविन्द सिंह आदि
दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु
मुकदमा न0 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री ओमप्रकाश घोटिया एड. मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादीनी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 05 तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 854/486 तादादी 3.3129 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू में वादीनी के हिस्से की 1/5 हिस्सा बीच में से राजीनामा में उल्लेखित स्थान की वादीनी अकेली के नाम अलग दर्ज कर लगान कायम करें। खेत खसरा संख्या 854/486 तादादी 3.3129 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ब.हि.ब. संयुक्त रूप से दर्ज करें व अन्य खसरान वादीनी व प्रतिवादीगण 01 ता 04 के नाम से संयुक्त हिस्सा अनुसार रखी जावे। मुताबिक निर्णय खेत खसरा संख्या 854/486 तादादी 3.3129 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ के एक्स में तरमीम करें। राजीनामा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज................................ मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमावी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख15 माह 05 2025

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पवकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।